हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 अगस्त, 2015

संख्या लैज. 9/2015.– दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (सेकॅन्ड ॲमें'न्डमॅन्ट) ऑ:ड्इनॅन्स, 2015, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 19 अगस्त, 2015 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अध्यादेश का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2015 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 3

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003,

को आगे संशोधित करने के लिए

अध्यादेश

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है ;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. यह अध्यादेश हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2015, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 की उपधारा (1) में,– 2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 2 का संशोधन।

I. खण्ड (ण) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :–

'(णण) ''इलैक्ट्रोनिक शासन'' से अभिप्राय है, निम्नलिखित के लिए इलैक्ट्रोनिक माध्यम का प्रयोग करना :–

(i) कोई प्ररूप, विवरणी, अनुलग्नक, आवेदन, घोषणा, प्रमाण–पत्र, अपील का ज्ञापन, संसूचना, सूचना या कोई अन्य दस्तावेज दायर करना ;

(ii) रिकार्ड का सर्जन, धारण या परिरक्षण ;

(iii) कोई प्ररूप जारी अथवा प्रदान करना इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, आदेश, नोटिस, संसूचना, सूचना या प्रमाण–पत्र भी शामिल हैं; तथा

(iv) सरकारी खजाने या सरकारी खजाने द्वारा प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से कर, ब्याज, शास्ति या कोई अन्य भुगतान या उनकी वापसी की रसीद;';

II. खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

'(ब) ''निवेश कर'' से अभिप्राय है, किसी वैट व्यवहारी को विक्रय किए गए माल के सम्बन्ध में राज्य को वास्तविक रूप में भुगतान की गई कर की राशि, जिसका ऐसे व्यवहारी को उस द्वारा धारा 8 के उपबन्धों के अनुसार परिकलित कर के वास्तविक भुगतान के रूप में क्रेडिट अनुमत किया गया है ;'।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 8 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''8. निवेश कर का अवधारण.– (1) किसी वैट व्यवहारी द्वारा खरीदे गए किसी माल के संबंध में निवेश कर, उसको ऐसे माल के विक्रय पर राज्य को वास्तविक रूप में भुगतान किए गए कर की राशि होगी तथा किसी व्यवहारी की दशा में, जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन कर भुगतान के लिए दायी है अथवा, जैसी भी स्थिति हो, धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन समय पर पंजीकरण के लिए आवेदन करता है, इसमें उस दिन जिसको वह कर भुगतान के लिए दायी हो जाता है, उस द्वारा स्टाक में रखे गए माल (पूंजी माल के सिवाय) के संबंध में इस अधिनियम तथा 1973 के अधिनियम के अधीन भुगतान किया गया कर भी शामिल है, किन्तु अनुसूची ङ में विनिर्दिष्ट माल ऐसे माल के विरुद्ध वर्णित परिस्थितियों में प्रयुक्त या व्ययन के संबंध में वास्तविक रूप में भुगतान किया गया कर शामिल नहीं होगा :

परन्तु जहां राज्य में खरीदा गया माल अनुसूची ङ में वर्णित परिस्थितियों में भागतः तथा अन्यथा भागतः प्रयुक्त या व्ययन किया जाता है, तो ऐसे माल के संबंध में निवेश कर अनुपात में संगणित किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि राज्य में खरीदे गए किसी माल के संबंध में निवेश कर प्राप्त कर लिया गया है किन्तु ऐसे माल अनुसूची ङ में वर्णित परिस्थितियों में बाद में प्रयुक्त या व्ययन किए गए हैं, तो ऐसे माल के संबंध में निवेश कर प्रतिवर्तित किया जाएगा।

(2) बीजक माल के विक्रय पर वैट व्यवहारी से प्रभारित कर दर्शाते हुए उसको जारी किया गया कर बीजक उपधारा (3) के उपबन्धों के अध्यधीन उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए ऐसे माल पर भुगतान किए गए कर का सबूत होगा।

(3) जहां किसी व्यवहारी को विक्रय किए गए किसी माल के संबंध में निवेश कर का कोई दावा इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में प्रश्नगत किया जाता है, तो ऐसी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी ऐसे व्यवहारी से माल के विक्रय के संबंध में विक्रेता व्यवहारी द्वारा उसको जारी किए गए कर बीजक के अतिरिक्त, विक्रेता व्यवहारी द्वारा विहित प्ररूप तथा रीति में उसे दिए गए प्रमाण–पत्र को अपने सम्मुख प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है तथा ऐसा प्राधिकारी दावे को केवल तभी अनुज्ञात करेगा यदि ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, करने के बाद, उसकी सन्तुष्टि हो गई है कि उसके सम्मुख प्रस्तुत किए गए प्रमाण–पत्र में दिए गए ब्यौरे सत्य तथा सही हैं तथा राज्य में किसी माल की खरीद पर निवेश कर की राशि किसी भी दशा में इस अधिनियम के अधीन उसी माल के सम्बन्ध में सरकारी खजाने में वास्तविक रूप में भुगतान किए गए कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) राज्य सरकार, समय–समय पर, निवेश कर की संगणना के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों से सुसंगत नियम बना सकती है तथा जब ऐसे नियम बनाए जाते हैं, तो कोई भी निवेश कर ऐसे नियमों की समनुरूपता के बिना संगणित नहीं किया जाएगा।''।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 15क का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 15क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''15क. अनन्तिम निर्धारण.– यदि निर्धारण प्राधिकारी उसके पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विश्वास करने का कारण रखता है कि किसी व्यवहारी ने इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान का अपवंचन अथवा परिहार किया है, तो वह व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, चालू वित्त वर्ष की किसी अवधि हेतु तथा अभिज्ञान की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर किसी भी समय, अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि से अनन्तिम आधार पर ऐसे किसी व्यवहारी का कराधेय आवर्त अवधारित कर सकता है तथा तद्नुसार कर के लिए उसका निर्धारण कर सकता है। इस प्रकार निर्धारित की गई कर राशि धारा 22 के उपबन्धों के अनुसार व्यवहारी द्वारा भुगतानयोग्य होगी। इस धारा के अधीन जमा करवाया गया प्रत्येक कर धारा 15 के अधीन किए गए निर्धारण में व्यवहारी के दायित्व के विरुद्ध समायोज्य होगा।''।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 16 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 16 में,–

(i) ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''छह वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ; तथा

(ii) व्याख्या में, ''हो गया है'' शब्दों के स्थान पर, ''किया गया है'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 17 का प्रतिस्थापन।

''17. यदि निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी निश्चित जानकारी के परिणामस्वरूप जो उसके कब्जे में आ गई है, उसे पता चलता है कि किसी वर्ष में किसी व्यवहारी के कारबार का आवर्त निर्धारणाधीन हो गया है या निर्धारण से छूट गया है या निवेश कर या वापसी अधिक अनुज्ञात हो गई है, तो वह उस वर्ष की समाप्ति के आगामी आठ वर्ष की समाप्ति से पूर्व या अन्तिम निर्धारण आदेश की तिथि से तीन वर्ष के भीतर, जो भी बाद में हो, किसी भी समय, विहित रीति में, व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, उस वर्ष के लिए जिसके लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावित किया गया है, व्यवहारी के कर दायित्व को पुनर्निर्धारित कर सकता है तथा पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्धारण प्राधिकारी, यदि व्यवहारी पुनर्निर्धारण के प्रयोजन के लिए उसे जारी किए गए नोटिस के निबन्धनों की अनुपालना करने में असफल रहता है, तो उसे अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से पुनर्निर्धारण की शक्ति होगी।''।

7. मूल अधिनियम की धारा 34 की उप–धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में, ''तीन वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''छह वर्ष'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। 2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 34 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम के अध्याय X के बाद, निम्नलिखित अध्याय रखा जाएगा, अर्थात् :— 2003 का हरियाणा अधिनियम 6 में अध्याय Xक रखना।

''**अध्याय–Xक**

इलैक्ट्रोनिक शासन

''**54क. इलैक्ट्रोनिक शासन का लागूकरण**.— (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, राज्य सरकार के अनुमोदन से, आदेश द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए इलैक्ट्रोनिक शासन लागू कर सकता है।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन आदेश पारित किया गया है, तो आयुक्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विवरणियों, आवेदनों, घोषणाओं, अनुलग्नकों, अपील का ज्ञापन, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज, के लिए प्ररूपों को संशोधित या प्रवर्तित कर सकता है जो इलैक्ट्रोनिक रूप से प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित हैं।

(3) आयुक्त, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इलैक्ट्रोनिक शासन के लिए इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित अवधि बढ़ा या घटा सकता है।

54ख. स्वचलीकरण.— (1) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा दिए गए निर्देशों में दिए गए उपबन्धों, इसमें डिजिटल हस्ताक्षरों, इलैक्ट्रोनिक शासन, आरोपण, अभिस्वीकृति तथा इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के प्रेषण, सुरक्षित इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड तथा सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षरों तथा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्रों से सम्बन्धित उपबन्ध भी शामिल हैं, इलैक्ट्रोनिक शासन के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रक्रिया को लागू होंगे।

(2) जहां कोई विवरणी, अनुलग्नक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, दस्तावेज आवेदन, प्ररूप इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, प्रमाण–पत्र, संसूचना या सूचना भी शामिल है, कार्यालय वैब साईट के माध्यम से किसी व्यवहारी या उसके इलैक्ट्रोनिक रूप से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, तो ऐसी विवरणी, अनुलग्नक, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, दस्तावेज आवेदन, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा प्ररूप, प्रमाण–पत्र, संसूचना या सूचना भी शामिल है, उस द्वारा प्रस्तुत की गई समझी जाएगी, यदि व्यवहारी या उसका प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कार्यालय वैब साईट प्रयोग की सहमति देता है :

परन्तु व्यवहारी या उसका प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जिसने कार्यालय वैब साईट के प्रयोग की सहमति दी है, तो वह कार्यालय वैब साईट के माध्यम से उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे दस्तावेजों से मुकरेगा नहीं या परित्यक्त नहीं करेगा।

(3) जहां पंजीकरण प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र, नोटिस या संसूचना शामिल है, किसी स्वचलित डॉटा संसाधन प्रणाली पर तैयार किया गया है और किसी व्यवहारी को भेजा गया है, तो उक्त पंजीकरण का प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र,

नोटिस या संसूचना भी शामिल है, आयुक्त या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा तथा पंजीकरण का प्रमाण–पत्र, आदेश, प्ररूप, इसमें वैधानिक घोषणा, प्रमाण–पत्र, नोटिस या संसूचना भी शामिल है, केवल इस आधार पर अवैध नहीं समझा जाएगा कि यह आयुक्त या उसके अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया है।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों हेतु, ''प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता'' से अभिप्राय है, इलैक्ट्रोनिक शासन के लिए व्यवहारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति।''।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 60 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 60 में, ''वैबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम'', शब्दों के स्थान पर, ''कार्यालय वैबसाईट'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

चण्डीगढ़:
दिनांक 19 अगस्त, 2015.

प्रो0 कप्तान सिंह सोलंकी,
राज्यपाल, हरियायणा।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

53626—L.R.—H.G.P., Chd.